No. EDN-H-(Ele.)(Quality Education) 2023-24
Directorate of Elementary Education,
Himachal Pradesh, Shimla-171001

Dated Shimla-171001, the, February, 2024

To

All the Deputy Directors of Elementary Education
Himachal Pradesh

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
17 FEB 2024
शिमला-1

Subject:- Regarding Guidelines to improve Quality of Education through Convergence and Resource Sharing.

Kindly find enclosed herewith the letter No. PS /Secy(Education) 02/ 2024 dated 13-02-2024 alongwith guidelines on the subject cited above. In this regard you are directed that a copy of these guidelines must be sent to each of the cluster schools to take further necessary action and compliance may be reported to the undersigned within 15 days positively.

Addl. Director (Admn.)
Directorate of Elementary Education
Shimla-171001, H.P.

Endst. No.:- Even, Dated Shimla-I the, February, 2024

Copy to:-

1. The Secretary (Education) to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-171002 for information.
2. Guard File.

Addl. Director (Admn.)
Directorate of Elementary Education
Shimla-171001, H.P.

45
14/2/2024

No.PS/Secy(Education)/02/2024
O/o Secretary (Education)
Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Director, Higher Education
   Shimla-1
2. The Director, Elementary Education
   Shimla-1
3. The State Project Director, SSA
   Shimla-1

Dated, Shimla-171002, the ....13th February, 2024

Subject: **Guidelines to improve Quality of Education through Convergence and Resource Sharing.**

Sir,

In supersession of the Guidelines issued vide letter No PS/Secy (Education)/11/2023 Dated, 29th November, 2023 and 7th December.2023. These Integrated Guidelines are hereby issued to improve resource share and convergence.

The Copy of the Guidelines is attached at Annexure-A.

Yours faithfully,

(Rakesh Kanwar)IAS
Secretary (Education)to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

Endst No. PS/Secy(Education)/02/2024 Dated:-13th February,2024
Copy forwarded for information and further necessary action.

3. All the Deputy Directors of Higher/Elementary Education, Himachal Pradesh for information and necessary action in the matter.
4. O/o Hon'ble Education Minister for information.

(Rakesh Kanwar)IAS
Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

Annexure-A

No.PS/Secy (Education)/02/2024
O/o Secretary (Education)
Government of Himachal Pradesh

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समेकित मार्गदर्शिका
Consolidated Guidelines for Improvement in Quality of Education

Dated: February 13, 2024

1. संसाधनों के सांझा उपयोग(Resource Sharing) और गतिविधियों के सांझे आयोजन के उद्देश्य से दिनांक 29 नवंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 को जारी किये गये निर्देशों को समेकित रूप में जारी करने की आवश्यकता के दृष्टिगत यह समेकित मार्गदर्शिका जारी की जा रही है। इस मार्गदर्शिका में अभी तक जारी किए गए दिशा निर्देशों को सरल बनाया गया है तथा शिक्षक समुदाय से प्राप्त सुझावों के आधार पर कुछ बिंदुओं में आवश्यक संशोधन भी किया गया है। साथ ही कुछ बिंन्दुओं को विस्तार दिया गया है। इस मार्गदर्शिका से स्कूल क्लस्टर के संसाधन सांझा करने के विषय में अध्यापक वर्ग के संशय दूर होंगे और उन्हें नवाचार करने और इन क्लस्टरों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये नये विचार भी मिलेंगे।
2. इस मार्गदर्शिका के जारी होने की तिथि से, पूर्व में दिनांक 29 नवम्बर 2023 और 7 दिसम्बर को जारी दिशा निर्देश निरस्त किये जाते हैं।
3. अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने स्कूलों में पूर्व में जारी दिशानिर्देशों को लागू किया है।
4. अध्यापकों ने नवम्बर तथा दिसम्बर मास में जारी दिशानिर्देशों के लागू होने के तुरंत बाद से ही प्राथमिक, प्रारम्भिक, उच्च एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समग्र सहयोग से किये जा रहे परिणामों की तस्वीरों, विडियो को रिपोर्टों आदि के माध्यम से सांझा करना प्रांरभ कर दिया है। प्रदेश भर से अध्यापक बेहद उत्साहित माहौल में आनंदित हो रहे बच्चों के अनुभव लगातार विभाग से तथा सोशल मीडिया पर सांझा कर रहे हैं। नवम्बर/दिसम्बर माह में उपरोक्त दिशानिर्देश जारी होने के बाद से प्रदेश के हज़ारों विद्यालयों में एक कलस्टर के रूप में काम होना शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ सामूहिक प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, खेल की सुविधाओं और स्मार्ट क्लास रूमों का

उपयोग भी कर रहें हैं। यह अत्यंत उत्साहवर्धक स्थिति है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के चेहरों पर आश्चर्य, खुशी और आनंदमयी विस्मय के भाव देखे जा सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्वांगत अपने परिसर में कर रहे हैं।

5. प्रदेश के शिक्षक और ज़िला एवं खण्ड स्तर पर कार्यरत शिक्षक–प्रशासक इसके लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इन निर्देशों को अपनाया और अपने–अपने कार्य क्षेत्र/पाठशालाओं में अभिनव प्रयोग प्रारंभ किये। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

6. यह निश्चित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालयों के बीच हर स्तर पर यथासंभव सहयोग प्राप्त करना है। इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य संसाधनों के सामूहिक प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर ध्यान केन्द्रित करना है।

7. अतः प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्री प्राईमरी तथा पहली से बारहवीं कक्षा तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण तथा एक समग्र शैक्षिक निरंतरता के बहाव को सुनिश्चित करने के लिये यह समेकित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन निर्देशों के केन्द्र में हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी बेहतरी के लिये यह व्यवस्था बनाई गई है।

8. क्योंकि यह देखा गया कि शिक्षा विभाग के भीतर सरकारी स्कूलों को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक की स्वतन्त्र एवं विभाजित इकाइयों के रूप में देखने की प्रवृत्ति के कारण अलग–अलग स्तर के विद्यालयों में बहुत कम आपसी समन्वय देखने को मिलता था, इसिलिए इन निर्देशों कि आवश्यकता पड़ी। हालाँकि कुछ प्रधानाध्यापक और शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं के बीच संसाधनों को सांझा करने का प्रयास बहुत पहले से करते रहें हैं परन्तु यह प्रयास आम तौर पर व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित रहते रहे। आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्थित दिशानिर्देश नहीं होने के कारण तथा संस्थागत ढांचा भी न होने के कारण अध्यापक आपसी समन्वय करने में तथा विभिन्न विद्यालयों में उपलबध संसाधनों का सांझा उपयोग कर पाने में कठिनाई अनुभव करते रहे हैं। यह देखा गया है कि प्राथमिक पाठशाला और उच्च पाठशाला एक ही जगह पर स्थित होने के बावजूद भी अलग–अलग इकाईयों के रूप में कार्य करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि स्कूल प्री–प्राइमरी से लेकर उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक समग्र इकाई के रूप में कार्य करें। इसलिए यह आवश्यक है कि प्री प्राईमरी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के बीच जहां भी संभव हो और जहां तक संभव हो, संसाधनों (मानव और भौतिक दोनों) को सांझा करने की प्रवृति विकसित की जाए।

9. चूंकि पूर्व में एक ही परिसर में स्थित स्कूलों और/या आस-पास स्थित स्कूलों के बीच सहयोग का अभाव रहता था, इसलिए उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और समुचित उपयोग नहीं हो पाता था। अतः इस मामले पर गंभीर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अथवा उच्च अथवा माध्यमिक पाठशालाएं जो एक साथ स्थित हैं (अर्थात् जो एक ही परिसर में या एक दूसरे से जुड़े परिसरों में स्थित हैं) या जो एक दूसरे से 300 मीटर (और अधिकतम 500 मीटर) से कम की दूरी पर स्थित हैं,उन्हें एक सहयोगी इकाई के रूप में संचालित किया जा सकता है। अभी तक के अनुभव यह बताते हैं कि ऐसा करना ना केवल संभव है बल्कि विद्यार्थियों के हित में है।

10. अतः निम्नलिखित स्कूलों को संसाधन सांझा करने की दृष्टि से **स्कूल क्लस्टर** (RISE-Resourece and Infrastructure Sharing for Excellence-School Cluster) घोषित किया जाता है और ये तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देंगे:-

- सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं(संख्या में 1984) जिनके साथ उसी परिसर में अथवा 500 मीटर की पैदल दूरी के भीतर एक या एक से अधिक प्राथमिक पाठशाला भी स्थित है।
- सभी सरकारी उच्च पाठशालाएं (संख्या में 960) जिनके साथ उसी परिसर में अथवा 500 मीटर की पैदल दूरी के भीतर एक या एक से अधिक प्राथमिक पाठशाला भी स्थित है।
- सभी सरकारी माध्यमिक पाठशालाएं (संख्या में 1850) जिनके साथ उसी परिसर में अथवा 500 मीटर की पैदल दूरी के भीतर एक या एक से अधिक प्राथमिक पाठशाला भी स्थित है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मार्गदर्शिका द्वारा बनने वाली क्लस्टर प्रणाली को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पहले से विद्यमान क्लस्टर प्रणाली के साथ भ्रमित (confuse) न किया जाए। यहां क्लस्टर का अर्थ उपरोक्त दूरी के अन्दर स्थित उन पाठशालाओं से है जिन में एक या एक से अधिक प्राथमिक पाठशाला होगी तथा दूसरी वरिष्ठ माध्यमिक अथवा उच्च अथवा माध्यमिक पाठशाला होगी।

जबकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जो वर्तमान में क्लस्टर प्रणाली विद्यमान है उसका अर्थ एक सीएचटी के अधीन जितने भी प्राथमिक विद्यालय आते

हैं(3,4,5 या इससे भी अधिक हो सकते हैं) उन विद्यालयों के समूह से है। वर्तमान मार्गदर्शिका के तहत क्लस्टर का उद्देश्य संसाधनों का सांझाकरण (Resource Sharing)और गतिविधियों का अभिसरण (convergence of activities) है जबकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जो क्लस्टर प्रणाली पहले से विद्यमान है उसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना है।

- वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च / माध्यमिक पाठशाला के प्रिंसिपल / हेडमास्टर / प्रभारी(जिनके साथ प्राइमरी स्कूल क्लस्टर बनाएंगे)दिन–प्रतिदिन के सहयोग और अभिसरण के लिए संसाधनों को सांझा प्रयोग करने के कलस्टर (RISE-Resourece and Infrastructure Sharing for Excellence-School Cluster) के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभायेंगे। इसी प्रकार इन कलस्टर समितियों के सदस्य सचिव नियमित रूप से अधिसूचित समितियों की बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे।

11. उच्च और प्रारंभिक शिक्षा के उप–निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल क्लस्टर तुरंत संसाधनों को सांझा करना शुरू कर दें। इन स्कूलों को यथा शीघ्र क्लस्टर शेयरिंग योजना (क्लब करने और सांझा करने के लिए गतिविधियों / संसाधनों की एक सुझावात्मक सूची) बनानी होगी ताकि अप्रैल 2024 से सभी संसाधनों का सांझा इस्तेमाल तथा गतिविधियों का कनवर्जेन्स सार्थक तरीके से होना शुरू हो जाए। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और इसके गुणात्मक प्रभाव एवं परिणामों में उत्तरोतर वृद्वि होती रहेगी ऐसी अपेक्षा है। शिक्षक आपस में सार्थक चर्चा से अभिनव प्रयास और नवाचार के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य करते रहेंगे।
12. प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के उप निदेशक इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रारम्भिक बैठक करेंगे और यदि कोई स्थानीय मुद्दे हैं तो उनका समाधान करेंगे। कलस्टर की पहली बैठक हर क्लस्टर में 31 मार्च 2024 तक अवश्य कर ली जायेगी। सक्रिय विद्यालय इस से पहले भी तथा प्रति माह एक से अधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं। अप्रैल महीने से हर महीने के पहले सोमवार को कलस्टर की बैठक होगी अगर सोमवार को अवकाश हो तो मंगलवार अथवा अगले कार्य दिवस पर यह बैठक नियमित रूप से आयोजित की जायेगी। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को मासिक आधार पर Resource Sharing और गतिविधियों के अभिसरण (Convergence) के क्षेत्र में स्कूलों

द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करनी होगी और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्लस्टर प्रमुखों का मार्गदर्शन करना होगा।

13. ये स्कूल क्लस्टर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक मॉडल समग्र शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करेंगे।

14. संबंधित प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के स्कूल प्रमुख अपने संस्थान के संबंध में अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही संबन्धित निदेशालयों के अन्तर्गत जारी रखेंगे और उसी के अनुसार अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगें। अर्थात जे0बी0टी0 अध्यापकों की छुट्टी, डेपूटेशन, एसीआर तथा टूअर इत्यादि पूर्व की भांति संबन्धित सी0एच0टी0 ही अनुमोदित करेंगें। हालांकि क्लस्टर के अन्तर्गत दोनों स्कूलों में तैनात कोई भी शिक्षक यदि लम्बी छुट्टी अथवा अन्य कारणों से अनुपस्थित (आकस्मिक अवकाश के सिवाय) रहता है तो उसकी सूचना (RISE School Cluster) कमेटी के अध्यक्ष / सदस्य सचिव को भी देनी होगी ताकि वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये क्लस्टर में ही तैनात किसी अन्य सक्षम अध्यापक की वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था कर सके।

15. स्कूल क्लस्टरों के दैनिक प्रबंधन से संबन्धित मुद्दों पर क्लस्टर समितियों की मासिक बैठकों के दौरान निर्णय लिया जाएगा। क्लस्टर समितियों द्वारा लिए गए निर्णय छात्रों के सर्वोतम हित में होने चाहिए। इन निर्णयों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समितियां समीक्षा और संशोधन कर सकती हैं।

16. इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रत्येक स्कूल क्लस्टर पर एक **क्लस्टर समिति** बनेगी, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी:–

- वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च / माध्यमिक पाठशाला के प्रिंसिपल / हेडमास्टर / प्रभारी – **अध्यक्ष**
- क्लस्टर में प्राथमिक स्कूल का सी0एच0टी0 – सदस्य
  (यदि किसी सी0एच0टी0 के दो या दो से अधिक स्कूल क्लस्टर में आ रहे हैं तो वह उन सभी क्लस्टर कमिटियों का सदस्य होगा सी0एच0टी0 किसी एक क्लस्टर में सदस्य सचिव भी हो सकता है।)
- क्लस्टर में दोनों स्कूलों के एसएमसी से एक–एक प्रतिनिधि (अभिभावक,जहां तक संभव हो माता)जिसे संबन्धित एसएमसी द्वारा नामित किया जायेगा –सदस्य
- क्लस्टर के दोनों स्कूलों से कम से कम एक एक अन्य शिक्षक –सदस्य
- अन्य कोई व्यक्ति जिसे समिति सर्वसम्मति से नामित करना चाहे – सदस्य
- क्लस्टर में प्राथमिक स्कूल का एच0टी0 / वरिष्ठतम शिक्षक – सचिव

4.

जहां माध्यमिक पाठशालाओं के साथ प्राथमिक पाठशाला का कलस्टर बनेगा वहां हैड मास्टर अथवा प्राथमिक स्कूल के इनचार्ज में से जो सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठ होगा वह इस संसाधन साझा करने की क्लस्टर समिति (RISE-Resourece and Infrastructure Sharing for Excellence-School Cluster) का अध्यक्ष होगा तथा कनिष्ठ अध्यापक सदस्य सचिव होगा। अतः अगर CHT **किसी क्लस्टर के सदस्य सचिव भी रहना चाहें तो वह उसी कलस्टर की बैठक में मासिक माग लेंगे अन्यथा वह अपनी इच्छा से अपने कार्यक्षेत्र के स्कूल कलस्टर की बैठकों में बारी–बारी भाग ले सकते हैं।**

प्रत्येक कलस्टर की समिति को 31 मार्च 2024 तक समिति के अध्यक्ष **तथा सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से अवश्य अधिसूचित कर दिया जायेगा।**

17. क्लस्टर समिति प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार अथवा आगामी कार्य दिवस पर (अगर सोमवार को अवकाश हो तो) क्लस्टर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेवारी रहेगी कि वह इस बैठक को सुनिश्चित करे। समिति के समस्त सदस्यों का इस बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
18. क्लस्टर समिति स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के साथ मिल कर स्कूल विकास योजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में सहायता करेगी।
19. समिति द्वारा प्रतिवर्ष इस योजना की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तन किये जायेंगे।
20. इन स्कूलों क्लस्टरों को **RISE (Resource and Infrastructure Sharing for Excellence) School Clusters** के नाम से जाना जायेगा।
21. अभिसरण(Convergence)सामंजस्य सहयोग तथा संसाधनों के सांझे उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल क्लस्टरों द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जाएं। यद्यपि नीचे सुझाई गई गतिविधियों पर सभी क्लस्टर समूहों को अमल का प्रयास करना होगा, तथापि नीचे दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त भी संबंधित स्कूल रचनात्मक होने अभिनव प्रयास के नवाचार करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें Convergence तथा Resource Sharing के नये तौर तरीके इजाद करने चाहिए।

- क्लस्टर में शामिल दोनों स्कूलों के मध्य, वक्त के साथ जैसे जैसे सामंजस्य बढ़ेगा, समय आने पर दोनों स्कूल संयुक्त एसएमसी बनाने का प्रयास करेंगे।
- स्कूल क्लस्टर में शामिल स्कूलों की प्रार्थना सभा एक साथ होगी। हालांकि यदिं प्राथमिक और उच्च शिक्षण संस्थान के मध्य कोई सड़क, नदी नाला इत्यादि अवरोध है जिसकी वजह से विद्यार्थियों की आवाजाही के दौरान दुर्घटना का अंदेशा रहता हो तो प्रार्थना सभा अलग अलग हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दोनों स्कूलों के मध्य दूरी 300 मीटर से अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्लस्टर समिति फैसला लेगी कि प्रार्थना सभा एक साथ करवानी है या नहीं यह संभव हो सकता है कि क्लस्टर के स्कूलों में 500 मीटर की दूरी के बावजूद संयुक्त प्रार्थना सभा संभव हो और 300 मीटर दूरी के भीतर ऐसा करना संभव न हो यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। समिति व्यवहारिक दृष्टि से इस विषय में निर्णय लेगी। अगर सुबह की प्रार्थना एक साथ नहीं हो सकती तो भी समय–समय पर प्राथमिक विद्यलायलों को उच्च विद्यलाय में प्रार्थना सभा में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा।
- कई रचनात्मक और सहभागी गतिविधियाँ शुरू करके प्रार्थना सभा को विद्यार्थियों के लिए एक सार्थक सीखने के अवसर में बदला जा सकता है (अधिकांश स्कूल पहले से ही ऐसी बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं)। गतिविधियाँ जैसे: समाचार पढ़ना, दिन का विषय, दिन का गीत, दिन की पुस्तक समीक्षायें, जो किताब मैंने पढ़ी, खुली प्रश्नोत्तरी, प्रतिभा दिखाने का कार्यक्रम, पिछले सप्ताह / माह में मैंने क्या अच्छा कार्य किया आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को सुबह की प्रार्थना सभा के समय सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले समूह का हिस्सा बनना चाहिए। यहां तक कि उच्च कक्षाओं और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए दिन भी तय किए जाने चाहिये।
- उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को सलाह देने के काम में लगाया जा सकता है और उनके संयुक्त प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- प्रार्थना सभा के दौरान विभिन्न विषयों में भाग लेने/प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए अलग अलग दिन और समय भी तय किया जा सकता है।

- मध्याह्न भोजनः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि क्लस्टर समिति जमीनी स्तर की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद पूरे क्लस्टर के लिए एक ही स्थान पर मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के संबंध में निर्णय लेगी। यह संभव है कि कुछ मामलों में स्कूल एक–दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों लेकिन, व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सामान्य मध्याह्न भोजन तैयार करना संभव नहीं होगा जैसे दोनों स्कूलों के बीच भारी यातायात वाली सड़क हो। इसके अलावा, यह संभव है कि स्कूलों के बीच की दूरी 300 मी0 से अधिक हो लेकिन सामान्य मध्याह्न भोजन बनाने की सुविधा होना संभव हो। हालांकि, स्कूलों को अभिसरण (convergence) से उत्पन्न तालमेल का लाभ उठाने के लिए सचेत और सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। इससे शिक्षकों को अतिरिक्त काम से मुक्ति मिल जाएगी और वे शिक्षण कार्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर पाएंगे। एक साथ भोजन बनने से मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता को भी फायदा होगा तथा यदि किसी दिन उन दोनों में से कोई एक किसी अपरिहार्य कारण से उपस्थित न हो पाये तो ऐसी स्थिति में दूसरा कार्यकर्ता भोजन बना सकता है।
- एक ही स्थान पर मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं परोसने का निर्णय पूरी तरह क्लस्टर स्कूल की समिति के सर्वसम्मत निर्णय पर निर्भर करेगा इसके लिये किसी भी पाठशाला को बाध्य नहीं किया जायेगा।
- स्वैच्छिक आधार पर दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिभावकों (विशेष रूप से माताओं)/एसएमसी/महिला मंडलों के सदस्यों की मदद लेने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

स्कूल क्लस्टर के अर्न्तगत जहां मध्याह्न भोजन एक ही स्थान पर बन रहा है, मध्याह्न भोजन से संबंधित रिकार्ड दोनों स्कूलों के लिए अलग–अलग रखा जा सकता है, क्योंकि अनुमत मात्रा और लागत के मानदंड अलग–अलग हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्याह्न भोजन इक्ट्ठे परोसा नहीं जा सकता। वास्तव में, संसाधनों को सांझा करके और खरीद और सामग्रियों के

लिये एकीकृत व्यवस्था करके विद्यार्थियों को बेहतर पोषण प्रदान किया जा सकता है।

किसी भी स्थिति में दोनों स्कूलों द्वारा नियुक्त किसी भी मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता को हटाया नहीं जाएगा। वह इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मद्देनज़र पहले की तरह ही काम करना जारी रखेंगे।

- यदि स्कूल क्लस्टर परिसर में केवल एक ही खेल का मैदान उपलब्ध है, तो इसे सांझा किया जाएगा और प्राथमिक स्कूल के लिए अलग स्थान निर्धारित करके सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, यदि अलग-अलग खेल के मैदान उपलब्ध हैं, तो इन्हें क्रमशः दोनों स्कूलों के लिए अलग अलग आबंटित किया जाएगा।
- संगीत वाद्ययंत्र / खेल उपकरण, चाहे वह दोनों स्कूलों में से किसी के पास भी हो, उन्हें दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को एक समान तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- बहुउद्देशीयहॉल / गतिविधिकक्ष / पुस्तकालय / वाचनालय / कंप्यूटर लैब / आईसीटी लैब / प्रयोगशाला आदि (इन्हें जिस भी नाम से जाना जाता है) दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को समान रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक सप्ताह में एक निश्चित समय के लिए आईसीटी लैब / प्रयोगशालाओं / कंप्यूटर लैब (चाहे इन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) में ले जाया जाएगा ताकि उन्हें उपकरण / प्रौद्योगिकी और डिजिटल अधिगम(Digital learning) के अनुभव से अवगत कराया जा सके।
- यदि क्लस्टर समिति उपरोक्त गतिविधियों के लिए एक समय-सारणी बनाएं तो यह सराहनीय होगा।
- इसी प्रकार पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग के लिए स्कूल क्लस्टर के अन्तर्गत दोनों स्कूलों की सभी कक्षाओं के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को आयु-उपयुक्त पुस्तकें दी जानी चाहिए और उन्हें पुस्तक पढ़ने के बाद अपने अनुभव सांझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- स्कूल क्लस्टर के अर्न्तगतदोनों स्कूलों में से किसी भी स्कूल के पास खाली/अप्रयुक्त(unutilised)कमरे हो उन्हें उस स्कूल के संबंधित प्रिंसिपल/हेडमास्टर/सीएचटी/वरिष्ठ शिक्षक द्वारा उचित रूप से (हैंडओवर–टेकओवर करके) दूसरे स्कूल को उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार दोनों स्कूलों में से किसी भी स्कूल के पास अतिरिक्त(surplus)/उप्रयुक्त फर्नीचर/कंप्यूटर/खेल सामग्री/प्रयोगशाला उपकरण/या कोई भी अन्य वस्तु पड़ी हो तो उसे दूसरे स्कूल को प्रयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाए। क्लस्टर समिति आपस में परामर्श करके इन मामलों पर निर्णय लेंगी। इस प्रकार दोनों निदेशालयों के अधीन उपलब्ध ढांचागत सुविधा एवं अन्य उपलब्ध संसाधनो का बेहतर प्रयोग हो सकेगा।
- बैग मुक्त दिनोंमें स्कूल क्लस्टर के अर्न्तगत दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को विभिन्न सह–पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों (co-curricular activities) में शामिल किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए।
- राज्य सरकार रिक्तियों को भरने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी न किसी कारण से स्कूलों के विभिन्न वर्गों में शिक्षकों की कमी के मामले हमेशा सामने आते रहते हैं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो। यदि वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की मदद करते हैं तो इसकी सराहना की जाएगी। ऐसे शिक्षकों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए और प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनकी सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए। क्लस्टर समिति विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हित में ये निर्णय लेने में सक्षम होगी।
- इसी प्रकार ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च/माध्यमिक स्कूलों में पीजीटी/टीजीटी/एलटी/शास्त्री के पद रिक्त पड़े हों। आजकल, कई जेबीटी स्नातक/स्नातकोत्तर हैं जिनकी अपने–अपने विषयों पर अच्छी पकड़ है। यदि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे जेबीटी

स्वेच्छा से उच्च कक्षाओं को पढाने के लिए तैयार हों तो इसकी अत्यधिक सराहना की जाएगी। स्कूल क्लस्टर के प्रमुख ऐसे शिक्षकों का विवरण उपनिदेशक (उच्च/प्राथमिक शिक्षा) को देंगे ताकि उनकी सेवाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दी जा सके। ऐसे शिक्षकों को उचित रूप से पुरूस्कृत किया जाना चाहिए और प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनकी सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए। अध्यापकों द्वारा आवश्यकता अनुसार ऐसी व्यवस्था कलस्टर की मासिक बैठक में आपसी सहमति से निर्णय की जायेगी।

22. स्कूल क्लस्टर learning outcomes में सुधार लाने के लिए अपने सम्पूर्ण प्रयास करेंगे।
23. स्कूल क्लस्टर के अर्न्तगत दोनों स्कूलों की एसएमसी को स्कूलों में गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। स्कूल क्लस्टर द्वारा की गई प्रगति को मासिक आधार पर दोनों स्कूलों की एसएमसी के साथ सांझा किया जाएगा।
24. सर्वोत्तम प्रयासों(best practices)को स्कूल कलस्टर के दोनों स्कूलों द्वारा मासिक आधार पर सम्बन्धित उपनिदेशक के माध्यम से निदेशक उच्च और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के साथ सांझा किया जाए, ताकि इन्हें प्रलेखित(document)किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके।
25. इन निर्देशों के मद्देनजर स्कूल क्लस्टरों में किए गए बदलाव और इन बदलावों के प्रभाव को एक संयुक्त रिपोर्ट के माध्यम से उपनिदेशक उच्च शिक्षा और उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा सांझा किया जाएगा। निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा इस रिर्पोट को संकलित किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर चर्चा की जाएगी, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले इन दिशानिर्देशों में आवश्यक सुधार किए जा सकें।
26. क्लस्टर समिति इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। क्लस्टर समिति द्वारा लिए गए निर्णय दोनों स्कूलों पर लागू होंगे। क्लस्टर समिति के अध्यक्ष व सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रति दोनों स्कूलों को क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध करवाएंगे।
27. स्कूल क्लस्टर के अर्न्तगत300 मीटर के बीच की दूरी वाले दोनों स्कूलों के लिए संसाधन सांझा करना अनिवार्य होगा। हालांकि 300 से 500 मीटर के बीच की दूरी वाले दोनों स्कूलों के लिए क्लस्टर समिति द्वारा वास्तविक भौतिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सांझाकरण योजना बनाई जाएगी।

28. स्कूल क्लस्टर एक पेशेवर शिक्षण समुदाय स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे, जहां शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षक कमजोर अधिगम परिणामों(weak learning outcomes) पर चर्चा करने के लिए हर हफ्ते एक–दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और सीखने की सुचारू प्रगति और आयु–ग्रेड अधिगम परिणाम (age appropriate learning outcomes) की उपलब्धि सुनिश्चित करने के उपाय ढूंढेंगे।

29. पर्यवेक्षण स्कुल क्लस्टर सप्ताह में एक बार सभी कक्षाओं के लिये युनिट टेस्ट(Unit test)आयोजित करेंगे तथा बच्चों की कमियों(Learning gaps) पर चर्चा करेंगे उनका समाधान भी करेंगे।

30. प्रारंभिक शिक्षा विभाग से सीएचटी, बीईईओ, उपनिदेशक (प्रारंभिक), उच्च शिक्षाविभाग से उपनिदेशक (उच्च) और जिला कार्यक्रम अधिकारी–सह–प्रिंसिपल (DIET) स्कूल क्लस्टरों का दौरा करेंगे और सुधार का सुझाव देंगे।

31. उपरोक्त सभी अधिकारियों को कम से कम कार्यान्वयन के पहले वर्ष में मासिक बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके मूल्यवान अनुभव का उपयोग क्लस्टर प्रणाली को बेहतर बनाने और परिचालन सम्बन्धित कठिनाइयों (operational difficulties) को दूर करने में किया जा सके।

32. अधिकारी, स्कूल क्लस्टरों के दौरे के बाद, मासिक आधार पर सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी को अपने दौरे के आधार पर अपनी अवलोकन/दौरा रिर्पोट/सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

33. निदेशक उच्च शिक्षा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा स्वयं अथवा दोनों निदेशालय से कोई भी अधिकारी जब भी दौरे पर हो तो स्कूल क्लस्टरों का दौरा भी इसमें शामिल करेगें।

34. शिक्षा विभाग (प्रारंभिक उच्च तथा समग्र शिक्षा विंग) के सहायक निदेशक स्तर से लेकर निदेशक स्तर के अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालयों का निरिक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे। सहायक निदेशक स्तर से लेकर निदेशक स्तर का कोई भी अधिकारी यदि फिल्ड दौरे पे जाते हैं तो वे अपने दौरे के दौरान प्री प्राईमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित दिए गए आदेशों को संबंधित स्कूल के मुखिया को अनुपालन करनी होगी। निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को यदि कोई भी विद्यालय नजरअंदाज करता है तो संबंधित उपनिदेशक/निर्देशक उस स्कूल के खिलाफ कारवाई करेंगे। अतः सभी उप निदेशक जब भी स्कूलों में सहयोगात्मक निरीक्षण करेंगे तो सभी विद्यालयों/व्यवस्थाओं को जांचेगे तथा उनके बारे में

अपनी रिपोर्ट निदेशक शिक्षा विभाग (उच्च तथा प्रारम्भिक) दोनों को देंगे। रिपोर्ट की एक प्रति SPD,SSA को भी भेजी जायेगी। उदाहरण के लिये अगर उप निदेशक(प्रारम्भिक शिक्षा प्रवास पर जाते हैं तो वह प्रारम्भिक एवं उच्च सभी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे उसी प्रकार उप निदेशक (उच्च शिक्षा) अपने प्रवास के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा संस्थानों का निरिक्षण भी अवश्य करेंगे। ऐसा देखने में आया है कि अगर शिमला जिले के उपनिदेशक (प्रारम्भिक अथवा उच्च शिक्षा) अगर डोडरा क्वार का दौरा करते हैं तो वह केवल क्रमशः प्रारम्भिक अथवा उच्च शिक्षा संस्थानों को ही जांचते है तथा सम्बंधित विद्यालयों के बारे में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह संसाधनों का अपव्यय तो है ही, साथ ही यह किसी भी दृष्टि से उचित नंही है। संसाधनों का सांझा उपयोग राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर भी उतना ही आवश्यक है जितना स्कूल स्तर पर । राज्य पर तथा जिला स्तर पर भी सांझी बैठकों का मासिक आयोजन मार्च 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें उच्च शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक तथा समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना निदेशक नियमित रूप सें एक साथ चर्चा करके विद्यार्थियों शिक्षा स्तर की समीक्षा करेंगे इसी प्रकार जिला स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों में उप निदेशक उच्च एवं प्रारम्भिक शिक्षा, जिला परियोजना अधिकारी तथा उप निदेशक(इन्सपेक्शन) में भाग लेंगे।

35. समग्र शिक्षा निदेशालय भी इन दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप विभिन्न गुणवत्ता सुधार प्रयासोंको अभिसारित (converge) करने का प्रयास करें।

36. उन स्कूल क्लस्टरों, क्लस्टर प्रमुखों और शिक्षकों के प्रदर्शन को मुल्यांकित और श्रेणीबद्व (Evaluation and Ranking) किया जाएगा जो इन क्लस्टरों को क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों/क्लस्टरों को हर वर्ष राज्य पुरस्कार दिया जाएगा।

37. ऐसा उपेक्षित है कि क्लस्टर की बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से ही लिये जायेंगे क्योंकि सभी निर्णय विद्यार्थियों के और क्लस्टर के हित में ही लिये जोने हैं। आवश्यक पड़ने पर क्लस्टर के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव जिला स्तर के अधिकारियों से सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त दिशानिर्देश में सुझाई गई गतिविधियां सुझावात्मक (suggestive) है और स्थानीय समुदाय के सहयोग से शिक्षक और भी सैंकड़ों उत्साहवर्धक प्रयोगों और रचनात्मक विचारों के साथ आगे आएंगे। इन सभी प्रयासों से सहयोग, सहभागिता तथा खुशी खुशी सीखने की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा।

उम्मीद है कि संसाधनों के सांझाकरण और गतिविधियों के अभिसरण से सीखने के बेहतर परिणाम मिलेंगे और अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्वि होगी। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का जो बीड़ा उठाया है, वह देश के सामने एक उदाहरण स्थापित करेगा।

(राकेश कंवर)
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार,